शहरों का होगा नियोजित विकास

4-12-12 D.J.

विधानसभा में पारित हुआ 'बिहार शहरी आयोजना तथा विकास विधेयक 2012'

सिर्फ लाइसेंसी भवनों को बिजली-पानी कनेक्शन, शहर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी योजना

शहरों पर आबादी के बढ़ते दवाब के बीच उन्नत आवासीय कालोनियां, सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था, व्यावसायिक संरचनाओं और टिकाऊ आधारभूत संरचना की जरूरत महसूस की जा रही थी। सुनियोजित विकास योजनाओं के अभाव में बड़े शहरों में आवासीय एवं व्यावसायिक संरचनाओं का बेतरतीब तरीके से निर्माण हो रहा था। इसने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को बुरी तरह प्रभावित किया। सोमवार को पारित विधेयक में इन तमाम विसंगतियों के खात्मे के उपाय हैं।

- खुलेगा मास्टर प्लान का रास्ता
- घोषित होंगे प्लानिंग एरिया
- विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बोर्ड
- अवैध निर्माण भी होगा रेगुलेट

प्लानिंग एरिया के अधीन पड़ने वाले क्षेत्र विशेष के भवनों में खास रंग एवं डिजाइन योजना को अपनाने के संबंध में आदेश दिया जा सकेगा, जो बाध्यकारी होगा।

बीस साल के लिए होगी विकास योजना

बीस साल के लिए विकास योजना होगी। नए शहरों, सेटेलाइट नगरी, समेकित आवासीय परियोजना, अत्यंत पिछड़े और निम्न आय वाले वर्गों के लिए आवास का प्रस्ताव का ध्यान भी रखना होगा। इस क्रम में ग्राम, प्रखंड शहर और जिला स्तर पर सुविधाओं की पहचान कर नक्शे पर दिखाना होगा।

जागरण ब्यूरो, पटना : शहरों के नियोजित विकास का बड़ा मकसद लिये 'बिहार शहरी आयोजना तथा विकास विधेयक 2012' सोमवार को विधानसभा से पारित हो गया। सबसे खास बात यह है कि इसके तहत शहर के करीब के ग्रामीण इलाकों के लिए भी एडवांस प्लानिंग होगी। पटना सहित विभिन्न शहरों के मास्टर प्लान की मंजूरी का रास्ता साफ होगा। शासन का दावा है कि विधेयक के बूते भूमि के उपयोग, योजनाबद्ध आवासीय व व्यावसायिक विकास के साथ बेहतर नागरिक सुविधाएं (चौड़ी सड़कें, सुदृढ़ ड्रेनेज, सीवरेज तंत्र, पार्क), ग्रीन एरिया, सामुदायिक भवन व विरासत भवनों का बेहतर संरक्षण हो सकेगा।

विधानसभा में विधेयक की खूबियों की चर्चा करते हुए नगर विकास मंत्री डा.प्रेम कुमार ने कहा कि शहरों के वर्तमान सीमांकन के एक किलोमीटर बाद तक के क्षेत्र में बिना अनुमति के मकान नहीं बन सकेंगे। विकास योजनाओं में किसानों को भी 10 प्रतिशत का हिस्सेदार बनाया जाएगा। अभी 55 में से 9 शहरों का मास्टर प्लान तैयार है। सिवरेज, पेयजल, स्वच्छता आदि के लिए अगले माह डीपीआर तैयार कर लिया जाएगा। अभी 35 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रदेश में शहरीकरण का फीसद करीब 11 ही है। शहरों के विकास के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बोर्ड का गठन होगा।

विधेयक पर आपत्ति दर्ज करते हुए राजद सदस्य दुर्गा प्रसाद सिंह ने कहा कि यह नगर निगम को कमजोर करने का प्रयास है।

शहरी आयोजन एवं विकास बोर्ड : विकास बोर्ड में कृषि उत्पादन आयुक्त के अतिरिक्त, स्वास्थ्य, योजना, पंचायती राज, उद्योग, वित्त, पथ, भवन, परिवहन, पर्यटन, सहित विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव सदस्य रहेंगे। सचिव नगर विकास सदस्य सचिव रहेंगे। नगर एवं क्षेत्रीय योजना के राष्ट्रीय प्रसिद्धि के दो विशेषज्ञ, मुख्य नगर निवेशक भी सदस्य रहेंगे।

बोर्ड का काम : बोर्ड राज्य में ग्रामीण एवं शहरी भूमि के उपयोग से संबंधित विषयों पर सरकार को राय देगा। महानगरीय, नगर एवं क्षेत्र आयोजना प्राधिकारों का मार्ग दर्शन करना, निर्देश एवं सहायता देने का काम करेगा।

प्लानिंग एरिया : राज्य सरकार योजनाबद्ध विकास के लिए बोर्ड की राय से किसी अंचल या क्षेत्र या किसी ऐसे क्षेत्रों, महानगर तथा नया ■ शेष पृष्ठ 17 पर